न्यायालय जिला कलक्टर, शाहपुरा

(पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत)

प्रकरण संख्या – 04/2024 – निगरानी

1. श्री रामेश्वर लाल पुत्र गोपाल लाल सेन, निवासी शक्करगढ़, तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा।
2. श्री सुभाष चन्द्र पुत्र मनोहर सिंह खेराडा, निवासी शक्करगढ़, तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा।

–निगराकार

1. ग्राम पंचायत शक्करगढ़, पंचायत समिति जहाजपुर, जिला शाहपरा।
2. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र मोहन लाल जी शर्मा, निवासी शक्करगढ़, तहसील जहाजपुर, जिला शाहपुरा।
3. पंचायत समिति जहाजपुर जरिये विकास अधिकारी, पंचायत समिति जहाजपुर, तहसील जहाजपुर, जिला शाहपुरा।

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 विरूद्ध ग्राम पंचायत शक्करगढ़ द्वारा दायर पत्रावली संख्या–02/05.05.2011, पट्टा क्रमांक–69, दिनांक 15.12.2019

उपस्थित –

1. श्री त्रिलोक चन्द नोलखा अधिवक्ता – निगराकारान की ओर से।
2. श्री नमन ओझा अधिवक्ता – गैर निगराकर संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 18.04.2024

1. निगराकारान की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत शक्करगढ़ द्वारा मिसल नम्बर 02/2011 कायम की गई, जिसके आधार पर गैर निगराकार संख्या 02 राजेन्द्र कुमार शर्मा के नाम से सुखाडिया नगर नामी योजना में खसरा संख्या 1031/02 में प्रपत्र 23 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 167 (1) के तहत् पट्टा संख्या 69, दिनांक 15.12.2019 को अवैध तरीके से जारी किया गया। गैर निगराकार संख्या 02 की पत्नी सरोज देवी वार्ड पंच वार्ड नम्बर 05 की रही हैं तथा गैर निगराकार संख्या 02 के पिता राजस्थान सरकार के सरकारी कर्मचारी रह का पटवारी पद से सेवानिवृत हुए हैं। ग्राम पंचायत शक्करगढ़ के सरपंच किशोर कुमार शर्मा द्वारा उक्त पट्टा गैर कानूनी रूप से अपने रिश्तेदार राजेन्द्र कुमार शर्मा के पक्ष में जारी किया गया। गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा पत्रावली वर्ष 2011 में कायम की गई तथा नीलामी के जरिये भूखण्ड देना दर्शाया, जबकि इस संबंध में ग्राम पंचायत शक्करगढ़ द्वारा नीलामी हेतु कोई भी विज्ञापन आदि जारी नहीं किये गये, न कभी नीलामी की कार्यवाही संपादित की गई। पट्टा दिनांक 15–12–2019 को जारी होना दर्शाया गया, जिस

जिला कलक्टर
शाहपुरा

पर हस्ताक्षर वर्ष 2016 में हुए। कायमशुदा मिसल दिनांक 05.05.2011 को कायम की गई है, उसके वाद आदेशिकानुसार दिनांक 20.08.2011 को स्थल का नक्शा वनाकर पेश करने का आदेश पारित हुआ हैं। उसके पश्चात् दिनांक 20.01.2012 को 40X60 का प्लाट व मौकास्थल का नजरी नक्शा पेश किया गया। उसके पश्चात् दिनांक 20.02.2019 को पत्रावली कोरम के समक्ष पेश की एवं दर्शाया गया कि किसी प्रकार की आपत्तियां दर्ज हुई है, इस कारण दिनांक 20.02.2019 को इस पर निर्णय पारित किया गया, जो इस प्रकार है पत्रावली को सभी पंचो के समक्ष पढकर सुनाया जिस पर विचार विमर्श नियम 156 आपसी वातचीत के अन्तर्गत प्लाट साईज 40X40 1600 वर्गफीट भूमि को डीएलसी वाजार दर को मदेनजर रखते हुए 300/– रूपये प्रतिवर्गफुट से 4,80,000/– रूपये में पंचायत कोष में जमा करवा कर अनुमोदन हेतु उच्चतम अधिकारी को पेश हो। वर्णित नजरी नक्शा 40 गुणा 40 के अनुसार प्लाट दिये जाने की सर्वसम्मति से खुली वैठक में सरेआम स्वीकृति दी जाती है। अनुमोदन वाद प्रार्थी के नाम सम्पूर्ण राशि जमा कर पट्टाधारी हो। अनुमोदन वास्ते उच्च अधिकारी की पत्रावली पेश हो। उक्त आदेशिका से ही स्पष्ट है कि पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 167 (1) के तहत् नीलामी के जरिये जारी नहीं हुआ है, जवकि पट्टा के अवलोकन से स्पष्ट है कि पट्टा नीलामी के जरिये दिया गया। पट्टा विधिविरूद्ध तरीके से जारी हुआ है यह तथ्य इससे भी प्रमाणित है कि गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा 1,90,000/– रूपये की राशि दिनांक 06.12.2014 एवं 1,90,000/– रूपये की राशि दिनांक 24.06.2016 एवं 1,00,000/– रूपये की राशि दिनांक 14.12.2019 को जमा करवाई गई। ऐसी स्थिति में जव राशि जमा करने के लिये तथा भूखण्ड का मूल्यांकन दिनांक 20.02.2019 को किया गया, तो उक्त राशि जमा का कोई औचित्य नहीं रह जाता हैं। दिनांक 20.02.2019 के पश्चात् केवलमात्र 1,00,000/– रूपये जमा हुए, जो विना किसी आदेश के जमा हुए है, ऐसी स्थिति में उक्त जमाशुदा राशि केवल जप्ती योग्य है एवं पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। जिस भूमि का पट्टा गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा जारी किया गया, उसके साथ नक्शा आबादी भूमि में तलिया का वनाया गया है, जिस पर किसी प्रकार के पडौस नक्शे में नहीं लिखे गये है, जबकि नक्शे के नीचे पडौस अंकित किये गये हैं, जिसमें केवल पश्चिम दिशा का पडौस किशन का प्लाट होना दर्शाया है। ऐसी स्थिति में यदि किशन के प्लाट के पूर्व में कोई भूखण्ड खाली था, तो उसको विना नीलामी प्रक्रिया के विक्रय गैर निगराकार संख्या 01 करने का अधिकार नहीं रखती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, भीलवाडा द्वारा भी विकास अधिकारी पंचायत समिति जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा को पत्र क्रमांक– जीपभी/पचा/01/2019–20/1168, दिनांक 27.01.2020/04.02.2020 को लिखा गया जिसमें कई तरह के आक्षेप लगाये गये, जिस संवंध में स्पष्टीकरण चाहा गया था। उसके पश्चात् विकास अधिकारी पंचायत समिति जहाजपुर द्वारा भी एक पत्र क्रमांक/पसज/प. सा./2019–20/1818, दिनांक 04.03.2020 सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत शक्करगढ़ को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण चाहा था। कहने का आशय यह है कि ग्राम पंचायत के निर्णय का किसी प्रकार से अनुमोदन नहीं हुआ।

जिला कलक्टर
शाहपुरा

ग्राम पंचायत शक्करगढ के तत्कालीन सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत में बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाये पट्टा निजी लाभ देने के लिये जारी किया गया है, जिस कारण ग्राम पंचायत शक्करगढ को भारी क्षति कारित हुई है। गैर निगराकार संख्या 01 ने तथाकथित भूमि 3,80,000/– रूपये में विक्रय होने के संदर्भ में पत्र जारी किया है, जो विकास अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पत्रों से स्पष्ट है एवं पत्रावली के अनुसार 4,80,000/– रूपये जमा होना बताया है. जिसका स्पष्टीकरण मांगा गया हैं। निगरानी लोकहित में होने से किसी प्रकार की समयावधि लागू नहीं होती है, ग्राम पंचायत शक्करगढ गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा लोकहित एवं विधि विरूद्ध तरीके से जारी पट्टा एवं निर्णय आदेश जारी किया है, जो अवैधानिक होने से शून्यप्रभावी है। उक्त अवैध पट्टे की निगराकारान को जानकारी होते ही नकल प्राप्त कर बिना किसी विलम्ब के यह निगरानी प्रस्तुत की गई। अतः निवेदन है कि गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा जारी पट्टा संख्या 69, दिनांक 15.12.2019 बमिशल संख्या 02, दिनांक 05.05.2011 की समस्त कार्यवाही को निरस्त फरमायें एवं पट्टा जो गैर निगराकार संख्या 02 के पक्ष में जारी किया गया है, को भी निरस्त फरमावें।

2. प्रस्तुत निगरानी न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 06.01.2021 को दायर की जाकर दिनांक 01.01.2024 को प्रकरण स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने से दर्ज किया जाकर उभयपक्षों को नोटिस जारी किये गये। निगराकारान एवं गैर निगराकार संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता गण द्वारा अधिकार पत्र पेश किये गये।

3. गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि जवाबदार को गैर निगराकार सं. 01 द्वारा विधि सम्मत तरीके से पट्टा जारी किया गया है। गैर निगराकार सं. 02 की पत्नी पट्टा जारी करने के समय वार्ड पंच नहीं थी एवं सरकारी कर्मचारी के पुत्र को पट्टा नहीं देने का कोई प्रावधान पंचायत अधिनियम में वर्णित नहीं है। जवाबदार को उक्त पट्टा विधि पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए गैर निगराकार सं. 01 द्वारा विधि सम्मत तरीके से दिया गया है। सरपंच किशोर कुमार शर्मा से जवाबदार की किसी प्रकार की कोई रिश्तेदारी नहीं है। जवाबदार द्वारा सुखाड़िया नगर में स्वयं के कब्जे के भूखण्ड को कीमतन दिलाये जाने का प्रार्थना पत्र गैर निगराकार सं. 01 के यहां प्रस्तुत किया था एवं उक्त भूखण्ड का गैर निगराकार सं. 01 द्वारा सर्वाधिक बोली अनुसार जवाबदार को विधि सम्मत तरीके से पट्टा जारी किया गया। जवाबदार द्वारा सुखाड़िया नगर में स्थित उक्त भूखण्ड का इस्तेमाल गांये बांधने व चारा डालने के लिये वर्षों से किया जा रहा है। उक्त भूखण्ड को दिलाये जाने बाबत् जवाबदार द्वारा गैर निगराकार सं. 01 के यहां प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 145 राजस्थान पंचायती राज नियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था। जवाबदार द्वारा प्रस्तुत आवेदन के पश्चात् गैर निगराकार सं. 01 के द्वारा नियम 146 के तहत मौका पर्चा बनाने के लिये तीन वार्ड पंचों की कमेटी बनाकर उक्त स्थल का विधिवत् नक्शा बनाया गया। स्थल निरीक्षण के पश्चात् गैर निगराकार सं. 01 द्वारा नियम 148 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर सार्वजनिक स्थान पर उक्त नोटिस को चस्पा किया गया। एक

जिला कलक्टर
शाहपुरा

माह के अन्दर कोई आपत्ति नहीं आने पर गैर निगराकार सं. 01 द्वारा नियम 149 की प्रक्रिया सम्पूर्ण मान ली गई। उक्त भूखण्ड नियम 156 के तहत दिया गया था। निर्णय पारित करते समय स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा भी उन्त भूखण्ड की बोली लगाई गई थी। जिसमें जवाबदार द्वारा सर्वाधिक बोली 300/–रुपये प्रति वर्गफिट लगाई गई, इसलिये उक्त भूखण्डका पट्टा विधि सम्मत तरीक से जवाबदार के पक्ष में जारी किया गया। जवाबदार को गैर निगराकार सं. 01 द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं आने के पश्चात् राशि जमा कराने के लिये कहा गया एवं जवाबदार द्वारा इसी अनुसार राशि जमा कराई गई। जवाबदार को उक्त भूखण्ड का पट्टा सर्वाधिक राशि 4.80,000/– रुपये में दिया गया एवं गैर निगराकार सं. 01 द्वारा उक्त भूखण्ड को पूर्व में विक्रय किये गये भूखण्डों से अधिक बोली पर जवाबदार को पट्टा जारी किया गया। उक्त भूखण्ड की वर्ष 2019 में डीएलसी दर 130/–रुपये प्रति वर्गफिट थी एवं नियम 156 के अन्तर्गत जवाबदार के अलावा उक्त भूखण्ड की सर्वाधिक बोली अन्य स्थानीयों द्वारा 4,00,000/– लगाई गई, परन्तु जवाबदार द्वारा 4,80,000/–रुपये की सर्वाधिक राशि 300/– रुपये प्रति वर्गफिट जो कि डीएलसी दर से दुगुनी से भी अधिक होने से उक्त भूखण्ड का पट्टा जवाबदार के पक्ष में जारी किया गया। वर्तमान पंचायत द्वारा दिनांक 07.08.2023 को श्री जहांगीर बेग पुत्र गुलाम बैग को एक पट्टा 1600 फिट भूमि का 62.50/– रुपये प्रतिवर्गफिट की बोली से दिया गया था। उक्त भूखण्ड बून्दी जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित है एवं जवाबदार को दिये गये भूखण्ड से कीमती स्थान पर स्थित है। इसी प्रकार दिनांक 20.07.2022 को हरजीलाल पुत्र मांगीलाल रेगर को बूंदी मुख्य मार्ग से एक गली छोड़कर 1350 वर्गफिट का एक भूखण्ड 85000/– रुपये में दिया गया था। इन दोनों पट्टों से प्रतीत होता है कि जवाबदार को दिया गया भूखण्ड उचित राशि पर दिया गया एवं उक्त भूखण्ड को देने में किसी प्रकार की कोताही निगराकार सं. 01 द्वारा नहीं बरती गई। उक्त निगरानी अवधि पार होने से खारिज किये जाने योग्य है। निगराकार द्वारा विलम्ब को क्षम्य कराने का कोई प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। गैर निगराकार सं. 01 द्वारा दिनांक 12.02.2021 को जवाबदार को निर्माण स्वीकृति पट्टा सं. 69 की जारी का गई एवं उसी दिनांक को जवाबदार द्वारा मकान का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया एवं जवाबदार द्वारा लाखों रुपये भूखण्ड पर लगाये जा चुके है। निगराकार द्वारा बिना किसी अधिकार के उक्त निगरानी जवाबदार के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। उक्त निगरानी अवधि पार होने से खारिज किये जाने योग्य है। निगराकार द्वारा विलम्ब को क्षम्य कराने का कोई प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। अतः निगराकारान की ओर से प्रस्तुत इस निगरानी को खारिज करने का आदेश प्रदान करावें।

4. प्रकरण में निगराकारान अधिवक्ता एवं गैर निगराकार संख्या 02 के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता निगराकारन् की ओर से बहस प्रस्तुत कर निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अवगत कराया गया कि गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा 02 को पट्टा संख्या 69 दिनांक 15.12.2019 अवैध रूप से जारी किया गया। गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा क्रय आवेदन के साथ जमा फीस की रसीद की स्थिति स्पष्ट नहीं है।

जिला कलक्टर
शाहपुरा

साथ ही उक्त जारी विवादित पट्टे की मिसल आदेशिका दिनांक 05.05.2011 में रसीद का कोई जिक्र नहीं है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 की धारा 154 में तहत पंचायत को दो लाख रूपये से अधिक व पांच लाख रूपये से अन्दर की राशि के पट्टा जारी करने से पूर्व जिला परिषद् से अनुमोदन कराया जाना आवश्यक है। परन्तु विपक्षी संख्या 01 द्वारा बिना अनुमोदन के ही पट्टा जारी कर दिया गया। गैर निगराकार संख्या 02 सन् 1993 से कब्जा होने का दावा कर रहा है परन्तु कब्जे बाबत् कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है। उक्त जारी विवादित पट्टे में वर्णित नियम 167 (1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के अंकित होने की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए कथन किया की उक्त भूखण्ड का पट्टा नियम 156 के तहत् जारी नहीं किया जाकर नियम 167 (1) के तहत् जारी किया गया है जिसके लिए नीलामी प्रक्रिया की पालना नहीं की गयी। अधिवक्ता निगराकार द्वारा निगरानी के अवधि पार होने के सन्दर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय उषा बनाम राजस्थान राज्य (2018) (2) DNJ (Raj.) 497 प्रस्तुत करते हुए कहां की निगरानी को सुनने के लिए किसी प्रकार की मियाद नहीं है अगर पट्टा अवैध तरीके से जारी किया गया हो। साथ ही निगराकार अधिवक्ता द्वारा 2012(1) WLC(Raj.) 768, 2020(1) RRT 566,2019(1) RRT 37, 2003(3) DNJ 1126, 2005(2) DNJ 963 नजीरें प्रस्तुत की जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया।

5. गैर निगराकार संख्या 02 के अधिवक्ता ने दौराने बहस इस तथ्य का अंकन किया की गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा विधि पूर्ण प्रक्रिया के तहत् पट्टा जारी किया गया। पट्टे में वर्णित भूखण्ड़ पट्टा बनने से पूर्व से ही गैर निगराकार संख्या 02 के कब्जे में चला आ रहा है। इस बाबत् गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा अपने निगरानी के जवाब में इस बात का स्पष्ट अंकन किया जिसका जवाब निगराकार द्वारा नहीं दिया गया। क्रय आवेदन के साथ जमा फीस की रसीद का जिक्र आदेशिका में हो यह कोई जरूरी नहीं है। गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा पट्टे में वर्णित भूखण्ड़ की डीएलसी दर 130/–रूपये प्रति वर्गफीट होने के बावजुद गैर निगराकार संख्सा 02 को बाजार मूल्य से कई अधिक राशि प्राप्त करते हुए पट्टा जारी किया गया। इसलिए उक्त पट्टे से ग्राम पंचायत शक्करगढ़ को किसी प्रकार की राजस्व हानि नहीं हुई। उक्त तथ्य की ताईद में गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा अपने जवाब में जहागीर बैग व हरजी लाल को निगरानी में वर्णित भूखण्ड़ के समीप मुख्य मार्ग पर पंचायत शक्करगढ़ द्वारा गैर निगराकार संख्या 02 से कम कीमत पर भूखण्ड़ दिया जाना बताया। गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा उक्त भूखण्ड़ पर दिनांक 12.02.2021 को ग्राम पंचायत शक्करगढ़ से पट्टा संख्या 69 के सन्दर्भ में निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी एवं लाखों रूपये लगाकर मकान का निर्माण कर लिया गया। गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में न्याय निर्णय (2017) 3 WLN 283 एवं D.B Spl. Apppl. Writ No.641/2021 श्रीमति अंतर कंवर बनाम राजस्थान राज्य वगैरह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रस्तुत किये गये।

6. प्रस्तुत बहस व न्याय निर्णयों पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया गया। निगराकारान द्वारा अपनी निगरानी में यह जाहिर किया कि गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा

जिला कलक्टर
शाहपुरा

गैर निगराकार संख्या 02 को अवैध तरीके से पट्टा जारी किया गया। गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा सम्पादित पत्रावली का निरीक्षण किया गया जिसमें गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा सुखाडिया नगर में भूखण्ड़ दिलाये जाने का आवेदन ग्राम पंचायत शक्करगढ़ गैर निगराकार संख्या 01 के यहां प्रस्तुत किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 05.05.2011 को मय फीस के जमा करते हुए भूखण्ड़ विक्रय रजिस्टर में दर्ज करते हुए नजरी नक्शा बनाकर पेश करने का आदेश दिया गया। दिनांक 20.08.2011 को पत्रावली में नियम 146 के अन्तर्गत तीन पंचो द्वारा मौका पर्चा बनाकर पेश करने का आदेश दिया गया। तीन वार्ड पंचो द्वारा दिनांक 22.08.2011 को भूखण्ड़ के विक्रय योग्य होने की सिफारिश के साथ मौका निरिक्षण किया गया। दिनांक 20.01.2022 को नजरी नक्शे को शामिल फाईल करते हुए नियम 147 के अन्तर्गत अस्थाई फैसला सर्वसम्मति से दिये जाने का अंकन करते हुए नियम 148 के अन्तर्गत एक माह की आपत्ति मांगने का सुचना पत्र जारी होने का आदेश दिया गया। सूचना पत्र का अवलोकन किया गया। सूचना पत्र दिनांक 21.01.2012 की पुश्त पर सार्वजनिक स्थान पर चस्पा होने एवं दो गवाहान के हस्ताक्षर होने का वर्णन है। पंचायत द्वारा दिनांक 20.02.2019 को नियम 149 समन्न होने का अंकन पत्रावली में किया गया एवं कोरम द्वारा उसी दिनांक को नियम 156 आपसी बातचीत के अन्तर्गत डीएलसी + बाजार दर को मध्यनजर रखते हुए 300/–रूपये प्रति वर्गफीट से 4,80,000/–रूपये पंचायत कोष में जमा करके अनुमोदन हेतु उच्चतम अधिकारी को पेश होने एवं वर्णित नजरी नक्शा 40X40 के अनुसार प्लॉट दिये जाने की सर्वसम्मति से खुली बैठक में आम स्वीकृति दी गयी। निगराकार द्वारा अपनी निगरानी में अंकन किया गया की गैर निगराकार संख्या 02 को जारी पट्टे में धारा 167 (1) का अंकन है। गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय में इस बात का स्पष्ट अंकन है कि गलत फॉरमेट पर पट्टा जारी करने से पट्टा अवैध नहीं होता है। सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया की पालना किये बिना ही गैर निगराकार संख्या 02 को उक्त पट्टा जारी किया गया क्योंकि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 की धारा 154 में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि पंचायत को दो लाख रूपये से अधिक व पांच लाख रूपये से अन्दर की राशि के पट्टा जारी करने से पूर्व जिला परिषद् से अनुमोदन कराया जाना आवश्यक है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा उक्त पट्टे को अनुमोदन के लिए सक्षम स्तर पर प्रेषित नहीं कर पट्टा जारी किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा पट्टा प्राप्ति के पश्चात् गैर निगराकार संख्या 01 से निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर मकान का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा पट्टे को अनुमोदन के लिए जिला परिषद् को नहीं भेजकर त्रुटी कारित की है यद्यपि गैर निगराकार संख्या 02 को गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा की गयी त्रुटी की सजा देना उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य होकर प्रकरण अधीनस्थ पंचायत शक्करगढ़ को रिमाण्ड किये जाने योग्य

जिला कलक्टर
शाहपुरा

है। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 पट्टा संख्या 69 दिनांक 15.12.2019 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर पंचायत शक्करगढ़ को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि धारा 154 राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में दिये गये प्रावधान के तहत् पट्टे को अनुमोदन के लिए जिला परिषद् शाहपुरा को प्रेषित कर अनुमोदन प्राप्त करें। निर्णय की प्रति मय रिकार्ड के अधीनस्थ ग्राम पंचायत शक्करगढ़ को पालनार्थ प्रषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
जिला कलक्टर,
शाहपुरा

जिला कलक्टर
शाहपुरा